IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 264 OF 2021

IN THE MATTER OF:

Bachhidhar & Ors. ....Applicants

Versus

State of Uttarakhand. ... Respondent

REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE OF UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 07.04.2022 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

P A P E R - B O O K

I N D E X

Srl	Particulars	Pages
1.	Report by way of Affidavit on behalf of State of Uttarakhand in the abovementioned matter	1-11
2.	ANNEXURE-1: A true copy of the order dt.07.04.2022 passed by this Hon'ble Tribunal.	12-15
3.	ANNEXURE-2: Photocopy of the Office Memorandum dated 20th December, 2016	16-17
4.	ANNEXURE-3: Photocopy of the Office Memorandum No.1480/VII-A-1/2021/68 Writ/TC-1 dated 8th h September, 2021	18-19
5.	ANNEXURE-4: Photocopy Office Memorandum No.2225/sto.Crh.Nwi./Khanan/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 28th September, 2021	20-23
6.	ANNEXURE-5: Photocopy of the Office Memorandum No.444/VII-1/2019/12 Stone Crusher/15 dated 05th March, 2019	24-25
7.	ANNEXURE-6: .Photocopy of the Office Memorandum No.2148/sto.Crh.Nwi./Khanan/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 25th September, 2021.	26-29
8.	ANNEXURE-7 Photocopy of the Office Memorandum No.2146/sto.Crh.Nwi./Khanan/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 25th September, 2021 Alongwith photocopy of Office Memorandum dated 16th December, 2016	30-35

Filed by:

[RAHUL VERMA]
Additional Advocate General for State of Uttarakhand / Respondent
137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I,Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI 1
ORIGINAL APPLICATION NO. 264 OF 2021

IN THE MATTER OF:
Bachhidhar & Ors. ....Applicants

Versus

State of Uttarakhand ... Respondent

REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE OF UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 07.04.2022 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

NOTARIAL CANCELLED

NOTARIAL

I, Dhiraj Singh Garbyal S/o Late Shri Daya Ram Singh Garbyal aged about 49 years, presently posted as District Magistrate, Nainital, Uttarakhand , do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present Report by way of Affidavit on behalf of State of Uttarakhand.

NOTARY Y. K. DEVAL Notary, Haldwani Distt. Nainital (UK) GOVT. OF UTTARAKHAND 5 L.N. 146 20.5.22

2. That the abovementioned matter was listed before this Hon'ble Tribunal on 07.04.2022, after hearing at length the Hon'ble Tribunal was pleased to pass a detailed order. The operative part of the same are as follows:-

"..

"..

....

We have considered the matter. We find the report to be unsatisfactory. On the one hand report filed on 09.02.2022 mentions compliances, on the other directions under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 dated 02.02.2022 have been issued mentioning violations as on 16.10.2021:-

"1. The unit shall provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The unit shall provide adequate pucca settling tanks for waste water treatment.
3. The Unit shall provide water sprinklers with proper pressure as per the State Policy, 2020.
4. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2011.
5. The Unit shall complete metalled road as per State Policy, 2011.
6. The Unit shall maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling.
7. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020."

If stand of the PCB about violations is to be accepted, report dated 9.2.2022 recording compliance is contradictory. Further, it is not clear why inspection was undertaken when the stone crushers were not in operation. Statement of PP about the quantity of water used appears to have been accepted, without any verification. Permission for the units is said to have been renewed for 10 years but it is not clear how such renewal

has been granted when there were violations. To say the least, the report has not been furnished in a responsible manner. It is possible to draw an inference that the persons signing the report are colluding with the violators, which aspect needs to be verified at a higher responsible level in the administration in the interest of probity. Accordingly, we reject the report and direct proper verification and filing of a duly verified factual and action taken report, explaining the contradictions pointed out hereinabove. The report may also mention the ambient air quality and particulate matter data around the operating crushers, source of water for sprinkling and distance from agricultural and habitation. The report may be filed within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The Member Secretary, State PCB may remain present in person by VC the circumstances in which such unsatisfactory misleading report has been filed and remedial action taken.

...."

A true copy of the abovementioned order dated 07.04.2022 is annexed hereto and marked as ANNEXURE -1.

3. That in compliance of the abovementioned order dated 07.04.2022 passed by this Hon'ble Tribunal, the present report by way of affidavit is being filed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal with regard to three approved/sanctioned Stone Crushers situated in Tehsil Betalghat, District Nainital, Uttarakhand, namely

– (i) Baijnath Stone industries Pvt. Ltd. (ii) Shri Maa Nanda Stone Crusher and (iii) Maa Girija Stone Crusher:

I. Baijnath Stone Crusher:- The permission was granted to Baijnath Stone Crusher vide Office Memorandum Government of Uttarakhand, Industry Development Section-1 No.1912/VII-1/49/Stone Crusher/2016 dated 20th December, 2016 (Photocopy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-2) for Middle Hilly Region of Uttarakhand as per conditions mentioned in Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant and Ready Mix Plant Licence Policy, 2015 as well as Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant, Redimix Plant Licence Policy,2016 to the Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd. Situated at Khasra No.348A, 351, 352, 353A, 354A, 355A and 291 (area 1.930 Hec. Middl. 1.260 Hec. Land) for 50 Tone per hour capacity for a period of 5 years for operation. The copy of the same was sent to the Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun.

NOTARY Y. K. BISVAL Notary, Haldwani Distt. Nainital (UK.) R. No. 96 (169/2016) GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) S.L.N. 146 20-5-22

Vide Office Memorandum No. 1480/VII-A-1/2021/68 Writ/TC-1, dated 8th September, 2021 of Industry Development (Mining) Section-1 Government of Uttarakhand (Photocopy

of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-3) the Sub Clause 2 of Clause 1 of Chapter-III of Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulvriser Plant, Hot Mix Plant, Readymix Plant Licence Policy, 2020 was amended as – The renewal of Stone Crusher/ Screening Plant will be done on the recommendation of the District Magistrate and Director, Geology & Mining on the basis of Report of Joint Inspection Committee under the Chairmanship of the District Magistrate or the Additional District Magistrate/ Chief Development Officer nominated by District Magistrate. But at present due to Covid-19 Pandemic, and due to its infection in view of Ease of Doing Business, the renewal of licence of sanctioned/ operated Stone Crusher/ Screening Plant and the licence of storage of minerals in complex of the plant will be granted (except the plants seized by the orders passed by the Hon'ble Court/ Hon'ble National Green Tribunal) to the unit/applicant on the basis of depositing of renewal fee as per the conditions/norms of the policy by the Director, Geology & Mining after inspection of the record for 10 years.

II. Thereafter vide Office Memorandum No.2225/ sto. Crh. Nwi./Khanan/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 28th

September, 2021 (Photocopy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-4) in view of Office Memorandum No 1480/VII-A-1/2021/68 Writ/ TC-1, dated 8th September, 2021 of Industry Development (Mining) Section-1 Government of Uttarakhand the Sub Clause 2 of Clause 1 of Chapter-III of Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulvriser Plant, Hot Mix Plant, Readymix Plant Licence Policy, 2020, the renewal was done in favour of M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd. Situated at Khasra No.348A, 351, 352, 353A, 354A, 355A and 291 (area 1.930 Hec. Middl. 1.260 Hec. Land) for 50 Tone per hour capacity for a period of 10 years. The copy of the same was sent to the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun with request to grant consent to operate in view of the conditions/ standard of the environment and as per the conditions / standards mentioned in the policy. The Pollution Control Board granted the permission to operate the plant till 31st March, 2026.

Y. K. DAYAL Notary, Haldwani Distt. Nainital (UK) S.L.N. 146 20.5.22

III. Shree Maa Nanda Stone Crusher, Tehsil Betal Ghat, Distrit Nainital:- The permission was granted to Shree Maa Nanda Stone Crusher was granted vide Office Memorandum Government of Uttarakhand, Industry Development Section-

7

1 No.444/VII-1/2019/ 12 Stone Crusher/15 dated 05th March, 2019 (Photocopy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-5 for Middle Hilly Region of Uttarakhand as per provisions /conditions mentioned in Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant and Ready Mix Plant Licence Policy, 2015 as well as Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant, Ready-mix Plant Licence Policy,2016 in continuation of proposal provided vide Letter No.927 dated 10th October, 2018 and Letter No.1249 dated 8th January, 2019 of the Director, Geology and Mining Unit, Directorate of Industries, Uttarakhand, Dehradun to Shree Ma Nanda Stone Crusher. Situated at Khasra No. Village Roulia Lagga (area 1626 930 Hec. Land). The permission for operation to the Unit in question was granted as per the conditions mentioned in the Licence for coming 10 years from 20th December,2021 in view of all the conditions and in view of the last order passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand passed in PIL Writ No.54/2014 – Sunil Mehra –Vs- State of Uttarakhand & Ors. The copy of the same was sent to the Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun with a request to grant the

permission for consent to operate after ensuring all the norms/ conditions with regard to environment.

Thereafter vide Office Memorandum No.2148/ sto. Crh.Nwi./Khanan/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 25th September, 2021 (Photocopy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-6) in view of Office Memorandum No. 1480/VII-A-1/2021/68 Writ/ TC-1, dated 8th September, 2021 of Industry Development (Mining) Section-1 Government of Uttarakhand the Sub Clause 2 of Clause 1 of Chapter-III of Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulvriser Plant, Hot Mix Plant, Readymix Plant Licence Policy, 2020, the renewal was done in favour of M/s Shree Maa Nanda Stone Crusher situated at Khata No.19 Khasra No.71 to 74 (total area 0.626 Hec.) and additionally Khata No. 04, 16, 19, 25 and 24 of Khasra No.78, 79, 80B, 99, 105, 106, 121, 122, 123, 100A, 124, 101, 103, 104 (total area 1.512 Hec), the total area is 2.138 Hec. Of land situated at Village Roulia Lagga, Tehsil Betalghat, District Nainital, Uttarakhand for a period of 10 years. The copy of the same was sent to the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun with request to grant consent to operate in view of the conditions/ standard of the

Y. K. BEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK)
S.L.N. 146
20.5.22

environment and as per the conditions / standards mentioned in the policy. The Pollution Control Board granted the permission to operate the plant till 31st March, 2026.

IV. <u>Maa Girija Stone Crusher, Tehsil Betal Ghat, Distrit Nainital</u>:- The permission was granted to Maa Girija Stone Crusher vide Office Memorandum Government of Uttarakhand, Industry Development Section-1 No.1741/VII-1/38- Stone Crusher/2016 dated 16th December, 2016 for Middle Hilly Region of Uttarakhand as per provisions /conditions mentioned in Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant and Ready Mix Plant Licence Policy, 2015 as well as Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant, Redimix Plant Licence Policy,2016 to Maa Girija Stone Crusher, situated at Khasra No.319 (area 0.129 Hct.), 320 (ara 0.165 Hec.) 329 (area 0.160 Hec.), 340 (area 0.36 Hec.) total area 0.490 Hec. Land, Tehsil Betalghat, District Nainital, Uttarakhand for 30 Tone per hour capacity for a period of 5 years for operation. The copy of the same was sent to the Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun.

Y. K. DEVAL Notary, Haldwani Distt. Nainital (UK) GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) SL-N 146 20.5.22

Thereafter vide Office Memorandum No.2146/ sto. Crh. Nwi./Khanan/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 25th September, 2021 (Photocopy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-7) in view of Office Memorandum No. 1480/VII-A-1/2021/68 Writ/ TC-1, dated 8th September, 2021 of Industry Development (Mining) Section-1 Government of Uttarakhand the Sub Clause 2 of Clause 1 of Chapter-III of Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulvriser Plant, Hot Mix Plant, Readymix Plant Licence Policy, 2020, the renewal was done in favour of Maa Girija Stone Crusher, situated at Khasra No.319 (area 0.129 Hct.), 320 (ara 0.165 Hec.) 329 (area 0.160 Hec.), 340 (area 0.36 Hec.) total area 0.490 Hec. Land, Tehsil Betalghat, District Nainital, Uttarakhand for a period of 10 years. The copy of the same was sent to the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun with request to grant consent to operate in view of the conditions/ standard of the environment and as per the conditions / standards mentioned in the policy. The Pollution Control Board granted the permission to operate the plant till 31st March, 2026.

Y. K. DEVAL Notary, Haldwani Distt. Nainital (UK) R. No. 94 (UK)/2010 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) S.2.-146 20.5.22

4. That in compliance of the order dated 07.04.2022 passed by this Hon'ble Tribunal, the present Report by way of Affidavit is being

filed on behalf of State of Uttarakhand for kind perusal of this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Nainital, Uttarakhand on this 20 day of May, 2022.

DEPONENT

Y. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK)
S.L.N. 146
20.5.22

Certified that Sri/Smt. Dhiraj Singh Garbyal
the Deponent Identified by Self
Sworned & Verified the in Content of this Affidavit at Haldwani
on D. 20.5.22 at 5.00 P.M.

(Yogesh Kumar Deval) 20.5.22
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK)

Filed through:

[RAHUL VERMA]
Additional Advocate General for State of Uttarakhand
/Respondent
137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I,
Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

12
ANNEXURE-I

Item No. 03 (Court No. 1)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 264/2021

Bachhidhar & Ors. Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand Respondent

Date of hearing: 07.04.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. VIJAY KULKARNI, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Respondent(s): Mr. Mukesh Verma, Advocate for UEPPCB

ORDER

1. Grievance in this application is against operation of stone crushers named Maa Nanda Stone Crusher, Baijnath Stone Industries and Maa Girja Stone Crusher at Betalghat Block, Village Ratoda, District Nainital in violation of environmental norms. The stone crushers are close to the river and cause air and noise pollution. They are also extracting ground water illegally. The application is supported by photographs.

2. Vide order dated 27.10.2021, the Tribunal directed the State PCB to ascertain facts and take remedial action and file an action taken report before this Tribunal.

3. In pursuance of above, an action taken report has been filed on 09.02.2022 after undertaking inspection of the area on 04.01.2022. It is stated that at the inspection the stone crushers were not in operation but they had made necessary provisions for water sprinkler, covering with CGI sheets for dust control, wind breaking wall, metalled roads and water spraying in green belts. Reference has also been made to earlier order of this Tribunal in *O.A. No. 132 of 2021, Manoj Joshi v. State of Uttarakhand & Ors.* which also involved the said three stone crushers. The Tribunal found the violations and directed remedial action. The State PCB has assessed compensation for the violations vide order dated 02.02.2022.

4. We have considered the matter. We find the report to be unsatisfactory. On the one hand report filed on 09.02.2022 mentions compliances, on the other directions under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 dated 02.02.2022 have been issued mentioning violations as on 16.10.2021:-

> "1. *The unit shall provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.*
> 2. *The unit shall provide adequate pucca settling tanks for waste water treatment.*
> 3. *The Unit shall provide water sprinklers with proper pressure as per the State Policy, 2020.*
> 4. *The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2011.*
> 5. *The Unit shall complete metalled road as per State Policy, 2011.*
> 6. *The Unit shall maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling.*
> 7. *The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020."*

5. If stand of the PCB about violations is to be accepted, report dated 9.2.2022 recording compliance is contradictory. Further, it is not clear why inspection was undertaken when the stone crushers were not in operation. Statement of PP about the quantity of water used appears to have been accepted, without any verification. Permission for the units is said to have been renewed for 10 years but it is not clear how such renewal has been granted when there were violations. To say the least, the report has not been furnished in a responsible manner. It is possible to draw an inference that the persons signing the report are colluding with the violators, which aspect needs to be verified at a higher responsible level in the administration in the interest of probity. Accordingly, we reject the report and direct proper verification and filing of a duly verified factual and action taken report, explaining the contradictions pointed out hereinabove. The report may also mention the ambient air quality and particulate matter data around the operating crushers, source of water for sprinkling and distance from agricultural and habitation. The report may be filed within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The Member Secretary, State PCB may remain present in person by VC the circumstances in which such unsatisfactory misleading report has been filed and remedial action taken.

List for further consideration on 23.05.2022.

A copy of this order be also forwarded to the Chief Secretary, Uttrakhand for appropriate action.

Adarsh Kumar Goel, CP

15

Sudhir Agarwal, JM

Arun Kumar Tyagi, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

Dr. Vijay Kulkarni, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

April 07, 2022
Original Application No. 264/2021
A

//TRUE COPY//

16
ANNEXURE-2

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्याः 1913/VII-1/49-स्टोन क्रेशर/2016
देहरादून : दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड के "मध्य पर्वतीय क्षेत्र" हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर,मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति, 2015 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 736/स्टो0/भूतखनि0इ0/नैनी0/2016-17 दिनांक 13 सितम्बर, 2016 के द्वारा आवेदक बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव, तहसील बैतालघाट, जिला नैनीताल को ग्राम तल्लागांव, तहसील बैतालघाट, क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 3408, 351, 352, 3530, 3540, 3563 एवं 2015 कुल रकबा 1.930 नये 1.260 है0 भूमि में 50 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर की स्थापना/संचालन हेतु स्टोन क्रेशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1758/VII-1/16/60-रिट/08 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2016 का प्रख्यापन किया गया है एवं नई नीति के अनुसार दूरी एवं क्षेत्रफल सम्बंधी मानकों में कतिपय परिवर्तन किये गये है। किन्तु प्रश्नगत प्रस्ताव में नीति, 2015 के साथ ही विद्यमान नीति, 2016 के अनुरूप समस्त औपचारिकतायें एवं मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत राजस्व हित, जनहित एवं विकास हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2016 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने की शर्त के अधीन आवेदक बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव, तहसील बैतालघाट, जिला नैनीताल को ग्राम तल्लागांव, तहसील बैतालघाट, क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 3408, 351, 352, 3530, 3540, 3563 एवं 2015 कुल रकबा 1.930 नये 1.260 है0 भूमि में 50 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर के स्थापना/संचालन हेतु 05 (पांच वर्ष) की अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन स्टोन क्रेशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

शर्तें-

1. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2016 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी0 ऊँची होगी।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर रू0 दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 $\mu g/m^3$ से कम हो।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्रि समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
8. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
9. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

Notary, Haldwani, Distt. Nainital (U.K.)
S.L.N. 146
20.5.22

Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

17

10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भारी हवा धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
12. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
13. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार **Water sprinklers** फव्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
14. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल–स्राव बना रहे।
15. कार्य दिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये जिसकी आई०डी० फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जायेगी। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी को चरित्र प्रमाण पत्र की नवीनतम प्रति उपलब्ध कराया जाना एवं तदनुसार शासन को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की आपूर्ति जिन निजी खनन पट्टों से की जावेगी, यदि उक्त पट्टों की क्षमता स्टोन क्रेशर की क्षमता से कम है, तो स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा अन्य पट्टों से स्टोन क्रेशर हेतु कच्चा माल प्राप्त किये जाने हेतु अनुबन्ध करते हुए, शपथ पत्र पर उसकी सूचना से शासन को अवगत कराया जाना होगा।
18. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चैक लिस्ट के अनुसार स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।

20/1/2016

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: ....(1)/VII-1/49-स्टोन क्रेशर/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
4. प्रबंधक बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० द्वारा ग्राम [illegible], तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

Y. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK)
R. No. ...
Sl. No. 146
20-5-22
GOVT. OF UTTARAKHAND

||TRUE COPY||

Certified that Sri/Smt. Dhiraj Singh Garbyal
the Deponent Identified by Self
Sworned & Verified the in Content of
this Affidavit at Haldwani
on Date 20.5.22 at 6:00 P.M.

Deval
20.5.22

(Yogesh Kumar Deval)
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK)

Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.
Narendra Pal Singh
Authorised Signatory

18

ANNEXURE-3

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

संख्या: 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी–1

देहरादून, दिनांक: 08 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (द्वितीय संशोधन) नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (द्वितीय संशोधन) नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्याय–III के बिन्दु सं० 1 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु सं० 1 के उप बिन्दु (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान उपबंध	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध
(2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी।	(2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी: परन्तु वर्तमान में कोविड–19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की संभावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा० न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र

–2

के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्राविधानों को पूर्ण किये जाने से संबंधित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा संबंधित अभिलेखों का परीक्षण/जांच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव
ह०

S/d

TRUE COPY
Singh Garbyal

Y. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (U.K.)
SL N-146
20-5-22

Identified by Self
Sworned & verified in front of
his Affidavit on 20-5-22
Yogesh Kumar Deval 20-5-22
(Yogesh Kumar Deval)
Notary Haldwani
Distt. Nainital (UK)

20

ANNEXURE-4

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या : 2225/स्टो0क्रे0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021–22, दिनांक 28 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1460/VII–A–1/2021/66 रिट/टीसी–1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लाट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु 2 मे संशोधन किया गया है कि:– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी"। परन्तु वर्तमान मे कोविड–19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति मे निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा"। शासन के पत्र संख्या 1551/VII–A–1/2021–68 रिट/08 टीसी–1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 मे उक्तानुसार किये गये प्राविधान के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतदद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम मे निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भू0खनि0ई0/2021–22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटो तथा प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण [illegible] समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को [illegible] किया गया है।

[illegible] अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई [illegible] द्वारा पत्र संख्या 64/[illegible]/स्टो0क्रे0नवी0/[illegible]/2021–22, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के द्वारा मैसर्स बैजनाथ स्टोन [illegible] प्रा0लि0, ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल के पक्ष मे ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 1.260 है0 भूमि मे पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित 20 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1912/VII–1/49–स्टोन क्रेशर/2016, दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2016 मे उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के शर्त के अधीन आवेदक बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल को ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 348 अ, 351, 352, 353 अ, 354 अ, 355 अ एवं 291 स कुल रकबा 1.930 है0 मध्ये 1.260 है0 भूमि मे 50 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए आदेश मे वर्णित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 1625/30 जी0सी0/2016–17, दिनांक 27 अप्रैल 2017 के द्वारा प्लांट स्वामी के पक्ष मे ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत खसरा

सं0 348 अ, 349, 350, 351, 352, 353 अ, 355 अ, 354 अ, 291 अ, 291 कुल रकबा 1.855 है0 भूमि मे एक समय मे 52,650 घनमीटर उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति दिनांक 19 दिसम्बर 2021 तक की अवधि हेतु स्वीकृत की गयी है।

वर्तमान मे प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर प्लांट की क्रसिंग क्षमता लगभग 180 टन प्रति घंटा आंगणित होती है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या–9 मे उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 64/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/नैनीताल/2021–22, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम मे उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII–A–1/2021/68 रिट/टीसी–1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 मे निहित प्रावधान के अन्तर्गत मैसर्स बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल के पक्ष मे ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान मे उपलब्ध कुल रकबा 1.260 है0 भूमि मे पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 20 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तो के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:–

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" मे उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई–रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी

3. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।

4. नीति के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रू0 10,88,000/–(रूपये दस लाख अठासी हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई–रवन्ना पोर्टल मे अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जाना होगा।

5. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।

6. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रश्ड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट मे छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

7. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश मे व निकासी गेटो पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकॉर्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।

S.L.N. 146
20.5.22

22

8. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा मे खनिजो के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई–प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।

10. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (ड.) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।

11. वर्तमान मे प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर प्लांट की क्रशिंग क्षमता लगभग 180 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई–सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय मे भण्डारण क्षमता 90×180×10=1,62,000 टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात् (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय मे भण्डारण क्षमता 45×180×10=81,000 टन होती है तथा वर्ष मे 6,48,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।

12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 9 मे गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।

13. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा निरस्त करने का निर्णय लिया जायेगा।

14. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा मे प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

Y. K. BEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK)
S.L. N. 142
Dt. 20-5-22

15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 906/VII–1/2020/158 ख–04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 मे उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

28/09/2021
(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

संख्या 2225 /स्टो0क्रे0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021–22, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व कराने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. मैसर्स बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, ग्राम [illegible], तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

Y. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK.)
GOVT. OF UTTARAKHAND

TRUE COPY

Certified that ... Deponent Identified by Self
Sworned & Verified the in Content of this Affidavit At Haldwani on Dt 20.5.22 at 6.00 P.M.

(Yogesh Kumar Deval)
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK.)

24

ANNEXURE-5

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 484 / VII-1 / 2019 / 12 स्टोन क्रेशर / 15
देहरादून,दिनांक 05 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–697 / VII-1 / 12–स्टोन क्रेशर / 2015, दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा प्रो० श्री दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रेशर के पक्ष में जनपद नैनीताल, तहसील बेतालघाट, नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रौलिया लग्गा के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.626 है० क्षेत्रफल में उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा नीति, 2011 के प्रावधानानुसार 200 टन प्रति दिन क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना / संचालन हेतु 03 वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गई तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–2018 / VII-1 / 2018 / 12 स्टोन क्रेशर / 15, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 द्वारा उक्त स्टोन क्रेशर की क्षमता 45 टन प्रति घंटा निर्धारित कर स्टोन क्रेशर का विनियमितीकरण किया गया। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 9 एवं अध्याय–III के बिन्दु सं० 1 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 927 / खनिज / स्टो०नवी० / नैनी० / भू०खनि०ई० / 2018–19, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 एवं पत्र संख्या–1249 / खनन / भू०खनि०ई० / नैनी० / स्टो–नवी / 2018–19, दिनांक 8 जनवरी, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्रो० श्री दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रेशर के पक्ष में जनपद नैनीताल, तहसील बेतालघाट, नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रौलिया लग्गा के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.626 है० क्षेत्रफल में उक्त स्वीकृत स्टोन क्रेशर संचालन की अनुज्ञा का उक्त नीति के प्रख्यापन की तिथि 19.11.2016 से आगामी 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 18.11.2021 तक नवीनीकरण नीति के अध्याय–III के बिन्दु सं० 2 के अवशेष प्रावधानों का अनुपालन किये जाने तथा जनहित याचिका सं० 54 / 2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय–III के बिन्दु सं० 1(1) के प्रावधानानुसार अंतर वार्षिक शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल / तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, के अधीन करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारो तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल / तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 $\mu g/m^3$ से कम हो ।
8. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
9. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

Y. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (U.K.)
R. No. ...
OF UTTARAKHAND (INDIA)
92 -N- 146
20.5.22

25

11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल हवा में न उड़े।
12. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। तथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
13. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
14. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्रशिंग स्क्रीनिंग कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinkles फव्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
15. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
16. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी0 फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जायेगी। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना होगा।

स्टोन क्रेशर को भण्डारण की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशर स्वामी को स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

Y. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (U.K.)
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
S.L.-N 146
20.5.22

गरिमा रौंकली
संयुक्त सचिव

संख्या- 4414 (1)/VII-1/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरांकित पत्र दिनांक 10.10.2018 एवं पत्र दिनांक 08.1.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित है, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० श्री दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रेशर, ग्राम रौलिया लगा, मैनीधका मय पांच चौक, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

TRUE COPY
Singh Garbyal

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

Certified that Sri/Smt ... Dhiraj Singh ...
the Deponent Identified by ...
Sworned & Verified the in Content of
this Affidavit At Haldwani
On D 20.5.22 at 6:00 P.M.

Yogesh Deval 20.5.22
(Yogesh Kumar Deval)
Haldwani

26

Y. K. DEVAL ... (UK) ... No. .../2010 ... OF UTTARAKHAND (INDIA)
SL-No 146
20-5-22

[illegible] एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

ANNEXURE-6

संख्या : [illegible]वी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021–22, दिनांक 25 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी–1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी"। परन्तु वर्तमान मे कोविड–19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोडकर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति मे निर्धारित मानकों/प्राविधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपत्र (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जॉच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा"। शासन के पत्र संख्या 1551/VII–A–1/2021–68 रिट/08 टीसी–1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 मे एतदानुसार किये गये प्राविधान के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम मे निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भू0खनि0ई0/2021–22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 09/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/नैनी0/2021–22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा श्री माँ नन्दा स्टोन क्रेशर, प्रो0 श्री दीपक शाह के पक्ष में जिला नैनीताल, तहसील बेतालघाट नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम सैलिया लग्गा क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या 19 के खसरा संख्याचा 71 से 74, कुल रकबा 0.626 है0 भूमि के अतिरिक्त खाता संख्या 04, 16, 19, 25 व 24 के खसरा संख्या 78, 79, 80 से 99, 105, 106, 121, 122, 123, 100 अ, 124, 101, 103, 104 कुल रकबा 1.512 है0, इस प्रकार कुल रकबा 2.138 है0 भूमि मे पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 19 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु जनहित याचिका संख्या 54/2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 444/VII-1/2019/12–स्टोन क्रेशर/15 देहरादून दिनांक 05 मार्च 2019 के द्वारा प्रो0 श्री दीपक साह, श्री माँ नन्दा स्टोन क्रेशर के पक्ष में जिला नैनीताल तहसील बेतालघाट नैनीचक मय पाच चौक, ग्राम सैलियालग्गा क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.626 है0 क्षेत्रफल में उक्त स्वीकृत स्टोन संचालन की अनुज्ञा का उक्त नीति के प्रख्यापन की तिथि 19.11.2016 से आगामी पॉच वर्ष अर्थात दिनांक 18.11.2021 तक नवीनीकरण, नीति के अध्याय III के बिन्दु संख्या–2 के अवशेष प्रावधानों का अनुपालन किये जाने तथा जनहित याचिका संख्या 54/2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एव अन्य में मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्लांट स्वामी के आवेदन प्रपत्र मे प्लांट की क्षमता 200 टन/घंटा उल्लिखित की गयी है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या–9 मे उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 09/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/नैनी0/2021–22 दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम मे उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII–A–1/2021/68 रिट/टीसी–1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 मे निहित प्रावधान के अन्तर्गत श्री माँ नन्दा स्टोन क्रेशर, प्रो0 श्री दीपक शाह के पक्ष में जिला नैनीताल, तहसील बेतालघाट नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रौलिया लग्गा क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या 19 के खसरा संख्या 71 से 74, कुल रकबा 0.626 हे0 भूमि के अतिरिक्त खाता संख्या 04, 16, 19, 25 व 24 के खसरा संख्या 78, 79, 80 ब, 99, 105, 106, 121, 122, 123, 100 अ, 124, 101, 103, 104 कुल रकबा 1.512 हे0, इस प्रकार कुल रकबा 2.138 हे0 भूमि मे पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर के संचालन की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 19 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए जनहित याचिका संख्या 54/2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है–

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" मे उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई–रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. नीति के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रू0 [illegible]000/–(रूपये दस लाख [illegible] हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई–रवन्ना पोर्टल मे अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
6. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रश्ड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट मे छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग मे जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश मे व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकॉर्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय मे प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।

Y. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (U.K.)
S. 2 N. 148
20-5-22

8. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई–प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।

10. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (ङ) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।

11. प्लांट स्वामी के आवेदन पत्र में प्लांट की क्षमता 200 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई–सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 90×200×10=1,80,000 टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय मे भण्डारण क्षमता 45×200×10=90,000 टन होती है तथा वर्ष में 7,20,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।

L. DEVAL Notary, Haldwani Distt. Nainital (U.K.) 9.2... 146 20-5-22

12. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।

13. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

14. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-1/2020/158 ख–04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

21/07/2021

(एस0एल0 पैट्रिक)

अपर निदेशक।

संख्याः 2148/स्टो0क्रे0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021–22, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

29

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्ते निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व कराने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. श्री माँ नन्दा स्टोन क्रेशर, प्रो0 श्री दीपक शाह, ग्राम रौलिया लग्गा, नैनीचक, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।

25/09/2021
(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

Y. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (U.K.)
S. L. No. 146
20.5.22

TRUE COPY
Dhiraj Singh Garbyal

Certified that Sri Smt ......
the Deponent Identified by ... Self
Sworned & Verified the in Content of
this Affidavit as Helat 6.00 P.M.
on D 20.5.22 at
(Yogesh Kumar Deval) 20.5.22
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK)

30

ANNEXURE-7

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 2126/स्टो०क्रे०नवी०/खनन/भू०खनि०ई०/नैनी०/2021–22, दिनांक 25 सितम्बर 2021

SL-n. 146
20.5.22

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII–A–1/2021/68 रिट/टीसी–1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी"। परन्तु वर्तमान मे कोविड–19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा० न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति मे निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा"। शासन के पत्र संख्या 1551/VII–A–1/2021–68 रिट/08 टीसी–1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 मे उक्तानुसार किये गये प्राविधान के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम मे निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भू०खनि०ई०/2021–22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन करते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 08/भू०खनि०ई०/स्टो०क्रे०नवी०/नैनी०/2021–22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा माँ गिरिजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी–7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के पक्ष मे ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319, 320, 329, 336, 337, 338, 340, 330 अ, 330 ब, 331 से 335, 347, 348 अ कुल रकबा 1.180 है० (वर्तमान मे उपलब्ध कराये गये मौका खसरा विवरण के अनुसार) भूमि मे पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 07 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1741/VII–1/38–स्टोन क्रेशर/2016, दिनांक 16 दिसम्बर 2016 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1890, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा नीति 2016 मे जोड़े गये अतिरिक्त प्राविधान अध्याय–VII मे की गयी व्यवस्थानुसार नवीन नीति के प्रख्यापन से पूर्व शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव मे तत्समय प्रचलित नीति के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ एवं मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत राजस्व हित, जनहित एवं विकास हित मे उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर नीति–2016 मे उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के शर्त के अधीन माँ गिरिजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी–7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के नाम से ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319 रकबा 0.129 है०, 320 रकबा 0.165 है०, 329 रकबा 0.160 है०, 340 रकबा 0.036 है०, कुल रकबा 0.490 है० नाप भूमि मे 30 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर की स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए आदेश मे वर्णित शर्तों के अधीन स्टोन क्रेशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

25

प्लांट स्वामी के आवेदन प्रपत्र मे प्लांट की क्षमता 100 टन/घंटा उल्लिखित की गयी है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या–9 मे उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 08/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/उ0/2021–22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम मे उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII–A–1/2021/68 रिट/टीसी–1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 मे निहित प्रावधान के अन्तर्गत माँ गिरिजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी–7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के पक्ष मे ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319, 320, 329, 336, 337, 338, 340, 330 अ, 330 ब, 331 से 335, 347, 348 अ, कुल रकबा 1.180 है0 (उपलब्ध कराये गये मौका खसरा विवरण के अनुसार) भूमि मे पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 16 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:–

शर्ते :

SLN 146
20.5.22

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" मे उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई–रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
5. नीति के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रू0 9,90,000/–(रूपये उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई–रवन्ना पोर्टल मे अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रश्ड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट मे छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश मे व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिर्कार्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय मे प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई–प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।

10. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 6 (ङ) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।

11. प्रस्ताव के साथ संलग्न प्लांट स्वामी के आवेदन प्रपत्र मे प्लांट की क्षमता 100 टन/घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई–सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय मे भण्डारण क्षमता 90×100×10=90,000 टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय मे भण्डारण क्षमता 45×100×10=45,000 टन होती है तथा वर्ष मे 3.60 लाख टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।

12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 9 मे गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।

13. स्टोन क्रेशर नीति–2020 के अध्याय–III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

14. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा मे प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या [illegible]/VII-1/2020/158 ख–04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 मे उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

25/09/2021

(एस0एल0 पैट्रिक)

अपर निदेशक।

संख्या 2146 /स्टो0क्रे0न0वी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021–22, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन [illegible]

5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल।
7. श्री गिरिजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड, हल्द्वानी।

33

16

25/09/2021
(एस०एल० पैट्रिक)
अपर निदेशक।

T. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (U.K.)
R. No. [illegible]
S. L. 2146
20.5.22
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

TRUE COPY

...ttested at ...Site Dhiraj Singh Garbyal
...ponent Identified by Self
...ned & Verified me in Content of
...n Affidavit at Haldwani
...n 20.5.22 at 6:00 p.m.

Yogesh Deval 20.5.22
Yogesh Kumar Deval
Notary Haldwani
Distt. Nainital (UK)

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
/VII-1/38–स्टोन क्रेशर/2016
देहरादून : दिनांक: दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड के 'मध्य पर्वतीय क्षेत्र' हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर,मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति, 2015 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 655/खनन/स्टोन क्रेशर/नैनीताल/2016–17, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 के द्वारा आवेदक माँ गिरीजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी–7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के नाम से ग्राम तल्लागांव तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319 रकबा 0.129 है0, 320 रकबा 0.165 है0, 329 रकबा 0.160 है0, 340 रकबा 0.036 है0 कुल रकबा 0.490 है0 नाप भूमि में 200 टन प्रतिदिन क्षमता के स्टोन क्रेशर के स्थापना/संचालन हेतु स्टोन क्रेशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1758/VII–1/16/68–रिट/08 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2016 का प्रख्यापन किया गया है एवं नई नीति के अनुसार मानकों में परिवर्तन किये गये है। किन्तु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1890/VII-1/16/68–रिट/08 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा नीति, 2016 में जोड़े गये अतिरिक्त प्राविधान अध्याय–VII में की गयी व्यवस्थानुसार नवीन नीति के प्रख्यापन से पूर्व शासन को उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत प्रस्ताव में तत्समय प्रचलित नीति के अनुरूप समस्त औपचारिकताऐं एवं मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत राजस्व हित, जनहित एवं विकास हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2016 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के शर्त के अधीन आवेदक माँ गिरीजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता निवासी गंगा इन्क्लेव सी–7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के नाम से ग्राम तल्लागांव तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319 रकबा 0.129 है0, 320 रकबा 0.165 है0, 329 रकबा 0.160 है0, 340 रकबा 0.036 है0 कुल रकबा 0.490 है0 नाप भूमि में 30 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर के स्थापना/संचालन हेतु 05 (पांच वर्ष) की अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन स्टोन क्रेशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

शर्तें:–

1. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं उत्तराखण्ड [illegible]
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर रू0 दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 $\mu g/m^3$ से कम हो।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।

35

8. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed शेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
9. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
12. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगें।
13. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
14. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल–दाब बना रहे।
15. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये जिसकी आई०डी० फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जायेगी। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी को चरित्र प्रमाण पत्र की नवीनतम प्रति उपलब्ध कराया जाना एवं तद्नुसार शासन को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की आपूर्ति जिन निजी खनन पट्टों से की जायेगी, यदि उक्त पट्टों की क्षमता स्टोन क्रेशर की क्षमता से कम है, तो स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा अन्य पट्टों से स्टोन क्रेशर हेतु कच्चा माल प्राप्त किये जाने हेतु अनुबन्ध करते हुए, शपथ पत्र पर उसकी सूचना से शासन को अवगत कराया जाना होगा।
18. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न चैक लिस्ट में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: [illegible] (i)/VII-1/38–स्टोन क्रेशर/2016, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
4. माँ गिरीजा स्टोन क्रेशर, निदेशक श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी–7, नवाबी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

Y. K. DEVAL
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (U.K.)

5.2-146
20.5.22

Certified that on the ... Dhiraj Singh Garbyal
the Deponent Identified by Self
Sworned & Verified the in Content of
this Affidavit At Haldwani 6.00 P.M.
on D. 20.5.22 at

Yogesh Kumar Deval 20.5.22
(Yogesh Kumar Deval)
Notary, Haldwani